

मिनी स्मार्ट सिटी निगरानी समिति की बैठक संपन्न

मिनी स्मार्ट सिटी के स्वीकृत कार्य तेजी से किये जाने के दिये निर्देश

रतलाम 06 जुलाई । रतलाम मिनी स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा कलेक्ट्रेट कक्ष में की गई। इस अवसर पर विधायक रतलाम शहर श्री चेतन्य काश्यप द्वारा निर्देशित किया गया कि मिनी स्मार्ट सिटी में स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए।

आयोजित बैठक में निर्देशित किया गया कि कृषि उपज मण्डी से फव्वारा चौक तक का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये इसके अलावा उंकाला रोड का कार्य 15 जुलाई तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

इसके अलावा कान्वेंट स्कूल तिराहे से आफिसर्स कालोनी तलैया तक के सड़क निर्माण कार्य में कान्वेंट स्कूल से वन स्टॉप सेन्टर तक 12 मीटर की चौड़ाई नहीं मिलने पर कालिका माता उद्यान व वन स्टॉप सेन्टर के पास वाले उद्यान की बाउण्ड्रीवॉल अंदर किये जाने हेतु नवीन बाउण्ड्रीवॉल बनाने के कार्य में होने वाला व्यय संबंधित निविदाकार द्वारा वहन किये जाने के निर्देश दिये।

विधायक रतलाम शहर श्री चेतन्य काश्यप ने बैठक में कहा कि मिनी स्मार्ट सिटी के तहत कान्वेंट स्कूल के सामने किये जा रहे डामरीकरण कार्य में स्लोप कार्य सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण दुर्घटना का खतरा है, उसको सुधारा जाए साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य में लागत ज्यादा है इस हेतु पुनः प्रस्ताव तैयार किया जाये।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि कंसल्टेंसी द्वारा ढिलाई के साथ कार्य किया जा रहा है साथ ही एजेंसी भी ठीक से कार्य नहीं कर रही है। कलेक्टर द्वारा कार्य पर सही मॉनिटरिंग किये जाने हेतु नगर निगम के इंजीनियरों को निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट भवन के सामने चल रहे कार्य की धीमी गति पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए एजेंसी को तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। ऊंकाला रोड पर पाइप लाइन कार्य के दौरान कलेक्टर द्वारा नगर निगम के एक इंजीनियर की पूरे समय तैनाती के निर्देश निगम आयुक्त को दिए गए। बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी तीन सड़क निर्माण कार्य डि-स्कोप किए जा रहे हैं इनमें गुजरात स्वीट से जूनियर रेलवे इंस्टिट्यूट तक, महाराणा प्रताप चौराहा से जीपीओ रोड तथा शास्त्री नगर मेन रोड सम्मिलित है।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, डिप्टी डायरेक्टर कृषि एवं किसान, एमपीयूडीसी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री मिश्रा, कार्यपालन यंत्री श्री लोक निर्माण श्री दीपेश गुप्ता, कार्यपालन यंत्री पीएचई, नगर निगम कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, श्री सुरेशचन्द्र व्यास, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार आदि उपस्थित थे।

8 स्थानों पर होगा आज कौविशिल्ड के दूसरे डोज का टीकाकरण

84 दिवस पूर्ण होने वाले व्यक्तियों को लगेगा टीका

रतलाम 6 जुलाई। रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 07 जुलाई बुधवार को 8 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कौविशिल्ड के दूसरे डोज का टीकाकरण प्रातः 9 बजे से निःशुल्क किया जायेगा।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी नागरिक जिनको कौविशिल्ड का पहला टीका लगाकर 84 दिन पूर्ण हो चुके ऐसे नागरिक अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर कौविशिल्ड का दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवाये।

कौविशिल्ड के दूसरे डोज के टीकाकरण हेतु कम्प्यूनिटी हॉल अलकापुरी, गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर, काश्यप सभागृह सागोद रोड, डीआरएम ऑफिस दो बत्ती, लायंस हॉल

रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे, रांगोली गीता मंदिर रोड, माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार व सूरज हॉल वेदव्यास कालोनी में वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

कार्य नहीं किया तो नहीं होगा वेतन भुगतान प्रतिदिन किये गये कार्य के व्हाट्स एप पर देना होंगे फोटो

रतलाम 06 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्देशित किया है कि वार्डों में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्यों की फोटो पृथक-पृथक शिफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप पर भेजें फोटो के आधार पर ही संबंधित कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि वार्डों में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:30 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन किया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों उपस्थिति दर्ज करने हेतु दोहरी व्यवस्था लागू करते हुए कर्मशाला विभाग के लिपिक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के बाद झोन प्रभारियों द्वारा भी अलग रजिस्टर संधारण कर प्रातः 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे अपने-अपने वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन लेकर जायेंगे व हररोज शाम को 5:30 बजे वाहन जमा कराते समय वाहन के कुल राउण्ड की इन्ट्री भी की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी दरोगाओं को निर्देशित किया है कि वार्ड के सफाई कर्मचारियों का बीट (कार्यक्षेत्र) की जनकारी प्रस्तुत करें गलत जानकारी देने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उद्यान विभाग के मालियों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:00 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये। उन्होने निर्देशित किया कि जिस कर्मचारी को जो वार्ड ओर कार्य आवंटित है वहां पर कर्मचारी के नहीं मिलने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 06 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 06 जुलाई को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर राजेश फुटवियर, राजेश लक्कड़पीठा रोड, चिराग बजाजखाना, सुभिताबाई, मांगीलाल तोपखाना पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं.

6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 6 जुलाई को 80 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 06 जुलाई | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 06 जुलाई मंगलवार को 80 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

06 जुलाई मंगलवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 43140, काम्पेक्टर सूखा कचरा 21695, काम्पेक्टर गीला कचरा 12710 व मैजिक 2495 किलो इस तरह कुल 80040 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

1038 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 06 जुलाई | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 6 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1038 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 6 जुलाई को सिविक सेन्टर, पोलोग्राउण्ड, गीता मंदिर रोड आदि क्षेत्रों से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 06 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 06 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/06.07.2021/न.पा.निगम, रतलाम.